धारा 117 : उच्च न्यायालय को अपील

(1) [1][अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठों] द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतवर्लित है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से, जिसको व्यथित व्यक्ति को अपीलगत आदेश प्राप्त होता है, एक सौ अस्सी दिन की अवधि में अपील फाइल की जा सकेगी और यह ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित होगी, जो विहित की जाए :

परन्तु उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का पर्याप्त कारण था।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को विरचित करेगा और केवल इस प्रकार विरचित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई के दौरान इस बात पर बहस करने की अनुमति होगी कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतवर्लित नहीं है :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि कि किसी अन्य सारवान प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को समाप्त करने या उसका अल्पीकरण करने वाली है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है।

(4) उच्च न्यायालय इस प्रकार विरचित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे।

(5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे मुद्दे का अवधारण कर सकेगा, जिसे–

(क) [2][राज्य न्यायपीठों] द्वारा अवधारित न किया गया हो; या

(ख) उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय के कारण [3][राज्य न्यायपीठों] द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से अवधारित किया गया हो।

(6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई है, वहां उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की न्यायपीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और उसका विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों या उनके बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।

---

1 वित अधिनियम, 2023 दिनांक 31.03.2023 द्वारा शब्दों ''राज्य न्यायपीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय न्यायपीठों'' के स्थान पर प्रतिस्थपित। दिनांक 01.08.2023 द्वारा प्रभावशील किया गया है।

2 वित अधिनियम, 2023 द्वारा शब्दों ''राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों'' के स्थान पर प्रतिस्थपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

3 वित अधिनियम, 2023 द्वारा शब्दों ''राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों'' के स्थान पर प्रतिस्थपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

(7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिन्दु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिन्दु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित सभी न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार ऐसे बिन्दु पर विनिश्चय किया जाएगा।

(8) जहां उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन उसके समक्ष फाइल की गई किसी अपील में निर्णय देता है वहां ऐसे निर्णय को, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी भी पक्ष द्वारा प्रभावी किया जाएगा।

(9) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अपीलों के संबंध में, जहां तक संभव हो, लागू होंगे।

उपयुक्त नियमः नियम 114, 115

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी एपीएल–04, जीएसटी एपीएल–08